न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1191–दो/2012 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–03–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा – प्रकरण कमांक 125 अ–6/2009–10 निगरानी

1– रामलोटन 2– रामनरेश पुत्रगण नर्वदा प्रसाद
3– श्रीमाती पंचवती पाण्डेय पत्नि रामलोटन
4– श्रीमती शकुन्तला पत्नि रामनरेश
सभी जाति ब्राहमण ग्राम पैपखार
तहसील हनुमना जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

गोमतीप्रसाद पुत्र नर्मदा प्रसाद ब्राहमण
निवासी ग्राम पैपखार तहसील हनुमना जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री शशि पाण्डे)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुद्रका प्रसाद विश्वकर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 125 अ–6/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–2–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ **प्रकरण का सारॉश यह है कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने हेतु तहसीलदार हनुमना के न्यायालय में प्रकरण कमांक 4 अ 6/08–09** एंव प्रकरण कमांक 3 इअ 6/08–09 पॅजीबद्व होकर आदेश दिनांक 20–10–2008 से नामान्तरण कार्यवाही की गई। इस आदेश के विरूद्व

अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने की प्रार्थना की। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण कमांक 42 अ-6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2010 से अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन को अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 125 अ-6/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-14 से निगरानी स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश दिनांक 5-8-2010 को निरस्त कर दिया। कलेक्टर जिला रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया तथा उनके व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को, लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने आदेश दिनांक 5-8-10 व्दारा अनावेदक के अवधि विधान की धारा 5 में वर्णित तथ्यों को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-10-08 की प्रमाणित प्रतिलिपि 15-12-2008 को प्राप्त होने के वाद दिनांक 13-3-09 को तीन माह पांच दिन वाद अपील प्रस्तुत की गई है एंव विलम्ब के दिन-प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया है। अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन के पद 5 में बताया है कि आलोच्य आदेश की जानकारी अपीलांट को ग्रामीणों से चर्चा के दौरान 5-11-08 को तहसील न्यायालय में उपस्थित होने पर 5-11-08 को हुई जिस पर दिनांक 5-11-08 को नकल का आवेदन दिया और काफी प्रयास के वाद दिनांक 16-3-09 को नकल प्राप्त

हुई। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 43, 44 पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-10-08 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसके पीठ पृष्ठ पर नकल प्रदाता द्वारा अंकित गई मुद्रा में लिखित तिथियों अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन 5-11-08 है जिसमें आगे की तिथियों को काटकर 16-3-08 किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश में अंकित किया है कि आदेश दिनांक 20-10-08 की प्रमाणित प्रतिलिपि 15-12-2008 को प्राप्त होने के वाद दिनांक 13-3-09 को तीन माह पांच दिन वाद अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश पारित होने के वाद यह काटपीट की जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति दिनॉक में हेरफेर किया गया है जिसके कारण कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 125 अ-6/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-14 संदेह की परिधि में है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता। न्यायालय में वही पक्षकार न्याय पाने का पात्र है जो न्यायालय के समक्ष स्वच्छ मन से आया हो। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 5-8-2010 में अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर निकाला गया निष्कर्ष उचित है जबकि कलेक्टर जिला रीवा द्वारा आदेश दिनांक 19-2-14 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने में भूल की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 125 अ-6/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर